अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2021 (RCMS 2021/74) (RTI No. 212672803371096) मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह गांव 5 केएसडी पो.ओ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (पो.ऑ. 98[illegible]767673) बनाम प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह उपस्थित नहीं है। **मैंनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2021 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी जो प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जुर्माना लगाने, कानूनी कार्यवाही करने और सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.04.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.01.2021 को आपके कार्यालय में परिवाद दर्ज करवाया क्रमांक 4622/26.10.2007
2. दूसरा परिवाद 15.01.2021 को सरकारी भूमि जलदाय विभाग के नाम जमाबन्दी दर्ज करवाने हेतु
3. आवेदन के [illegible] किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 47/2021

4. इन प्रार्थना पत्रों पर आपके कार्यालय द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है, उनकी प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/666 दिनांक 29.06.2021 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था जो दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज़ाकिर हुसैन)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:06 IST
Reason: SelfAttested